न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 262/2022

गुरूदयाल पुत्र रामकुमार, जाति माली, निवासी शेखपुरा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— आवेदक

बनाम

1. हरिसिंह
2. दुलीचन्द
3. रामस्वरूप
4. ओमप्रकाश
   पिसरान महादाराम
5. मु0 कैलासी
6. मु0 मोहनी
7. मु0 फुली
   पुत्रियां महादाराम
8. शीशराम पुत्र रामेश्वर
9. ताराचन्द पुत्र रामेश्वर
10. मु0 पुष्पा पत्नी बिहारी
11. रीचा पुत्री बिहारी
12. अनिल पुत्र बिहारी
13. सुनिल पुत्र बिहारी
14. नन्दलाल पुत्र रामेश्वर
15. किशोरी पुत्री रामेश्वर
16. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर
17. ममता पुत्री रामेश्वर
    समस्त जाति माली, निवासीगण शेखपुरा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
18. राजस्थाना सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं।
19. उपखण्ड अधिकारी, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— अनावेदक

\- - -

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 235 राज0 टीनेन्सी एक्ट बाबत स्थानान्तरण प्रकरण उनवानी मामकोरी वगैरह बनाम लाडोडी वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक [illegible] 43/2015 बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा तारीख 28.07.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.30 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–

1. श्री शिवनारायण सिंह, अभिभाषक– आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश डांगी, अभिभाषक – आवेदक स0 1 [illegible] 17 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक संख्या 18 व 19 की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

आदेश

दिनांक 25.08.2022

प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र नीचे लिखे अनुसार पेश है कि प्रार्थी व विवादित भूमि के अन्य सहखातेदारान के खिलाफ अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से एक दावा उनवानी मामकोरी वगैरह बनाम लाडोडी वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक बंटवारा व दखलयाबी मु0नं0 43/2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा में लम्बित है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.07.2022 मुकर्र है। उक्त दावा में तारीख पेशी दिनांक 27.7.2022 को अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थी व दावा के अन्य प्रतिवादीगण को धमकी दी कि अप्रार्थीगण/वादीगण का अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से पुख्ता सम्पर्क हो गया है तथा किन्ही परिस्थितियों में कानून को दरकिनार करते हुए प्रकरण के फैसला अप्रार्थीगण/वादीगण के चाहे अनुसार ही होगा। इस पर प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण दिनांक 21.07.2022 की तारीख पेशी के रोज अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के समक्ष वरवक्त प्रकरण की आवाज पहुंचे तो प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से भी अप्रार्थीगण/वादीगण के उक्त अनुसार किये गये कथनों की पुष्टि होना पाया गया। अप्रार्थीगण/वादीगण ने भी प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण को अपने मनमाने ढंग से अप्रार्थी नं0 19 से मिलकर दावा का निर्णय प्रार्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने की खुलम खुल्ला धमकी दी। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत के वर्तमान पीठासीन अधिकारी के भ्रष्ट आचरण की गांव गली व मौहल्ले में खुलकर चर्चाऐं हो रही है। इस प्रकार अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के उक्त अनुसार आचरण से प्रार्थी/प्रतिवादीगण को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की कतई कोई आशा नही रही है। अप्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त अनुसार अदालत मातहत के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से पुख्ता तालमेल स्थापित कर रखा है। अप्रार्थीगण/वादीगण प्रार्थी/प्रतिवादीगण को खुले आम दावा का निर्णय प्रार्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध करवाने की धमकियां दे रहे है। ऐसी परिस्थितियों में अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी नं0 19 से प्रार्थी/प्रतिवादीगण को न्याय मिलने में पूर्ण आशंका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ अदालत मातहत के समक्ष विचाराधीन दावा नम्बर 43/2015 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु आदेश दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी मामकोरी वगैरह बनाम लाडोडी वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक, बंटवारा व दखलयाबी मु0नं0 43/2015 की पत्रावली तुरन्त तलब की जाकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर विधिनूकुल निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चिडावा ने पत्रांक 618 दिनांक 24.08.20[illegible] प्रस्तुत कर अवगत कराया कि बिन्दू सं0 1 स्वीकार है। बिन्दू सं0 2 मे वर्णित तथ्य म[illegible]ने से अस्वीकार है। बिन्दू सं0 3 मे वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीका[illegible] सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायाल[illegible] को कोई [illegible] नही है। बिन्दू सं0 4 व 5 कानूनी है जबाब की आवश्यकता नही है। आवे[illegible] पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.30 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनू

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र नीचे लिखे अनुसार पेश है कि प्रार्थी व विवादित भूमि के अन्य सहखातेदारान के खिलाफ अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से एक दावा उनवानी मामकोरी वगैरह बनाम लाडोडी वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक बंटवारा व दखलयाबी मु0नं0 43/2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा में लम्बित है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.07.2022 मुर्कर है। उक्त दावा में तारीख पेशी दिनांक 27.7.2022 को अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थी व दावा के अन्य प्रतिवादीगण को धमकी दी कि अप्रार्थीगण/वादीगण का अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से पुख्ता सम्पर्क हो गया है तथा किन्ही परिस्थितियों में कानून को दरकिनार करते हुए प्रकरण के फैसला अप्रार्थीगण/वादीगण के चाहे अनुसार ही होगा। इस पर प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण दिनांक 21.07.2022 की तारीख पेशी के रोज अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के समक्ष वरवक्त प्रकरण की आवाज पहुंचे तो प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से भी अप्रार्थीगण/वादीगण के उक्त अनुसार किये गये कथनों की पुष्टि होना पाया गया। अप्रार्थीगण/वादीगण ने भी प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण को अपने मनमाने ढंग से अप्रार्थी नं0 19 से मिलकर दावा का निर्णय प्रार्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने की खुलम खुल्ला धमकी दी। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत के वर्तमान पीठासीन अधिकारी के भ्रष्ट आचरण की गांव गली व मौहल्ले में खुलकर चर्चाऐं हो रही है। इस प्रकार अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी के उक्त अनुसार आचरण से प्रार्थी/प्रतिवादीगण को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की कतई कोई आशा नही रही है। अप्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त अनुसार अदालत मातहत के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से पुख्ता तालमेल स्थापित कर रखा है। अप्रार्थीगण/वादीगण प्रार्थी/प्रतिवादीगण को खुले आम दावा का निर्णय प्रार्थी/प्रतिवादीगण के विरूद्ध करवाने की धमकियां दे रहे है। ऐसी परिस्थितियों में अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी नं0 19 से प्रार्थी/प्रतिवादीगण को न्याय मिलने में पूर्ण आशंका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ अदालत मातहत के समक्ष विचाराधीन दावा नम्बर 43/2015 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु आदेश दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली उनवानी मामकोरी वगैरह बनाम लाडोडी वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक, बंटवारा व दखलयाबी मु0नं0 43/2015 की पत्रावली तुरन्त तलब की जाकर किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर विधिनूकुल निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वकील प्रार्थी कोर्ट का समय बर्बाद करना चाहते है। वकील प्रार्थी ने मुकदमा स्थानान्तरण बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। पीठासीन अधिकारी यदि भ्रष्टाचार मे लिप्त होते तो उनके विरूद्ध वकील समुदाय हडताल करता या फिर अखबार मे इस बाबत कोई खबर प्रकाशित होती। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के लिए प्रार्थी द्वारा उचित कारण नही बता पाये है। अदालत मातहत मे समुचित रूप से सुनवाई की जा रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.30 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने अन्य न्यायालय मे मुकदमा स्थानान्तरण को कोई ठोस कारण नही बताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा मे विचाराधीन मुकदमा उनवानी मामकोरी वगैरह बनाम लाडोडी वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक, बंटवारा व दखलयाबी मु0नं0 43/2015 का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही बता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.09.30 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested